बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

09 मार्च, 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 18

नियमित सफाई की व्यवस्था

***4** **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में कई ओवर ब्रिज बने हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कई ओवर ब्रिज पर किनारे में मिट्टी बालू गिरा रहता है जिसपर दो पहिया वाहन चलाने वाले फिसल कर गिर जाते हैं, जिसके कारण अप्रिय घटना घटती रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ओवर ब्रिजों की नियमित साफ-सफाई कराने की व्यवस्था कराना चाहती है, हां तो कबतक?

स्थायी समाधान

***106** **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जंक्शन के सामने ऑटो पार्किंग हेतु निर्मित

मल्टीलेवल पार्किंग भवन से ऑटो का परिचालन नहीं होकर जंक्शन गोलम्बर से लेकर जी.पी.ओ. गोलम्बर तक मुख्य सड़क पर ही ऑटो खड़ा किया जाता है जिससे दिन-रात जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त आरक्षी अथवा यातायात पुलिस मूकदर्शक बने रहते हैं और उनकी नाक के नीचे सारा खेल चलता रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जी.पी.ओ. गोलम्बर से पटना जंक्शन गोलम्बर तक कृत्रिम जाम के स्थायी समाधान का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पर्यटन के रूप में विकसित

*107 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के पुरनहिया प्रखंड में अशोगी गांव में लगभग 2 एकड़ में फैले बरगद का पेड़ आस्था का केन्द्र है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आस्था केन्द्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पूरी संभावना है;

(ग) क्या यह सही है कि तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा में स्थित शहीद स्मारक को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पी.सी.सी. सड़क का निर्माण

*108 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के मौर्या नगर में नगीना पुस्तक भंडार से

सटी गली अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है जिससे मोहल्लावासी को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस गली का निर्माण दस वर्षों से नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मौर्या नगर में नगीना पुस्तक भंडार से सटी गली में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जनसेवा केन्द्र कबतक

*109 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना के सभी 75 वार्डों में 80 जनसेवा केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इस केन्द्र के बनने से आम लोगों को ट्रेड लाइसेंस, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि को बनाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि पटना के 28 जगहों पर जमीन मिली है जिसमें 10 जगहों पर ही भवन निर्माण किया गया है लेकिन किसी वार्ड में यह सुविधा शुरू नहीं की गई है जिसके चलते आम जनता को अंचल कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना के सभी वार्ड में जनसेवा केन्द्र खोलकर आम जनता को सुविधा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

राजस्व रसीद का निर्गत किया जाना

*110 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जिला नालंदा अंतर्गत कराय परसुराय अंचल के मौजा कन्हौली का खाता 38, खेसरा 37, 38, खाता 51, खेसरा 5, कुल रकबा 0.96 डी. जमीन धनुकधारी दुसाध, वल्द वैजनाथ, वो शनिचर दुसाध, वल्द गोखुल दुसाध के नाम से

खतियान में दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि शनिचर दुसाध के वंशज क्रमशः रामावतार पासवान, रामलगन पासवान, कुलदीप पासवान, दिनेश पासवान एवं महेश पासवान हैं;

(ग) क्या यह सही है कि खण्ड 'ख' में वर्णित वंशजों द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारी कराय परसुराय से अनुरोध किया है कि उनके खतियानी रकबे के आधार पर वंशजवार राजस्व रसीद निर्गत करने की कार्रवाई की जाए किन्तु आज तक राजस्व रसीद निर्गत नहीं की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि दिनेश पासवान वगैरह अशिक्षित हैं और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंद्ध रखते हैं, उनके भूखंड की बंदरबांट राजस्व कर्मचारी एवं भूमि माफिया मिलकर करना चाहते हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड 'ख' में वर्णित वंशजों के नाम से राजस्व रसीद कब तक निर्गत करना चाहती है?

सड़क का निर्माण

*111 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम अंतर्गत वार्ड नं०- 1 निराला नगर में दीघा थाना के पश्चिम से निराला नगर कॉलोनी तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क को बनाने के लिए दो बार निविदा निकालने के बावजूद इस सड़क का निर्माण आजतक नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का शीघ्र निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्वच्छ गंगा मिशन

*112 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **पर्यटन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना समाहरणालय घाट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे योजना के तहत 'गंगा म्यूजियम' तथा 'गंगा रिसर्च सेंटर' का निर्माण कराया

गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इसकी जिम्मेदारी पटना नगर निगम को दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि गंगा से जुड़ी किसी भी जानकारी का लाभ पर्यटकों को नहीं मिल पाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाएगी कि 'गंगा म्यूजियम' तथा 'गंगा रिसर्च सेंटर' में पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थानान्तरण कबतक

***113 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में उल्लिखित प्रावधानों की कंडिका- 4 में नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी कोटि 'ग' के पदों के मामलों में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय होगा तथा संवर्ग राज्य स्तरीय होगा;

(ख) क्या यह सही है कि 'क' में वर्णित प्रावधानों में राज्य के अधिकांश नगर परिषद् कार्यालयों में, विशेषकर दानापुर नगर परिषद् कार्यालय में कोटि- 'ग' के कर्मचारी विगत 15 से 25 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं जबकि वर्तमान नियम के अनुसार ऐसे कर्मियों का स्थानांतरण 3 वर्षों में किया जाना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के नगर परिषद् कार्यालयों में लंबे अरसों से पदस्थापित रहने एवं दानापुर नगर परिषद् में 3 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों का दानापुर नगर परिषद् से स्थानांतरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

लिपिक का स्थानांतरण

***114 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **सामान्य प्रशासन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री संजय कुमार, लिपिक के पद पर समाहरणालय,

मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित लिपिक समाहरणालय, मुजफ्फरपुर में लगभग 15 वर्षों से कार्यरत हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित लिपिक का स्थानांतरण किसी अन्य जिले में करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

*115 **श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत नौबतपुर नगर पंचायत के वार्ड नं.- 3 में स्थित मोतीपुर (गंज पर) में सार्वजनिक रूप से एक भी सामुदायिक भवन नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सामुदायिक भवन न होने से ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि NH-139 से नहर के रास्ते उत्तर की ओर सबसे अंतिम भुनेश्वर प्रसाद आजाद के घर के समीप (उत्तर दिशा में) सरकारी जमीन है जो खाली पड़ी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*116 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण जिला में अंग्रेज नील कोठियों के मालिकों द्वारा बेतिया राज की जमीन पर करीब 71 नील कोठियां एवं उप कोठियों का निर्माण किया गया था, जो अब पुनः बेतिया राज द्वारा संगृहीत की जा चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि भारत में बेतिया राज एकमात्र ऐसा देसी राज है जो अभी भी

कोट्र्स ऑफ वार्ड के अधीन है;

(ग) क्या यह सही है कि इन नील कोठियों के हाते में पड़ी 200-250 एकड़ जमीन, पुराना बंग्ला एवं अन्य चीजें निरर्थक पड़ी हुई हैं और इस पर गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण भी चल रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों जिलों के सभी पुरानी नील कोठियों को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करते हुए यहां पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है ताकि यूरोपीय सहित देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करते हुए बिहार में पर्यटन की नवीन संस्कृति विकसित की जा सके ?

अनुदान राशि

*117 **श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **आपदा प्रबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखण्ड की पंचायत भाटगांव के रंगा मिठा गांव निवासी दो सगे भाइयों स्व० मो० याकूब एवं स्व० मो० साबिर, पिता- स्व० मो० रसूल की आकस्मिक मृत्यु लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में हो गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त परिवार के ऊपर आई इस आपदा के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण मृतकों के परिवार द्वारा आवेदन देते हुए सरकार से अनुग्रह अनुदान राशि के लिए डेढ़ वर्ष पूर्व विनती की गई थी किन्तु इन्हें अभी तक अनुग्रह अनुदान राशि नहीं मिल पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानवता के आधार पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को अनुग्रह अनुदान राशि यथाशीघ्र प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*118 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास अंचलान्तर्गत ग्राम- गोरगामा में अवस्थित " दुलहा पोखर" नाम का एक सरकारी बड़ा तालाब, जिसका पुराना खाता संख्या- 183 एवं खेसरा संख्या- 1014 है तथा जिसका रकबा करीब तीन बिगहा का है, को चारों दिशा से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है तथा उसके भिन्डों के अधिकांश हिस्सों पर विभिन्न तरीकों से कब्जा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने जल-जीवन-हरियाली योजनान्तर्गत ऐसे तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार कर संरक्षित करने की योजना प्रारंभ की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सरकारी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसका जीर्णोद्धार व विकास कर उसे संरक्षित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन को वापस

***119 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि श्री हीरा लाल साह ग्राम + पोस्ट – नोखा, थाना – नोखा, जिला – रोहतास के तृतीय पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद ने हीरा लाल साह की जमीन में से कुछ जमीन का फर्जी कागज बना लिया था और दाखिल-खारिज का फर्जी रसीद भी कटवा लिया था;

(ख) क्या यह सही है कि तत्पश्चात श्री हीरा लाल साह द्वारा अपर समाहर्ता रोहतास के दाखिल-खारिज वाद सं०- 63/2013 तत्कालीन अंचलाधिकारी, नोखा, रोहतास के दाखिल-खारिज वाद सं० – 783/2010-11 और 1246/2011-12 को त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया एवं दाखिल-खारिज अपील वाद सं० – 31/2011-12 में पारित आदेश को भी निरस्त कर दिया, परन्तु आदेश से दाखिल-खारिज जो सुरेन्द्र प्रसाद ने फर्जी तरीके से किया था वह तो रद्द हो गया, परन्तु सारी जमीन पूर्ववर्ती श्री हीरा लाल साह के नाम से नहीं हो पाई;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार गजट भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा 6(11) में स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा अथवा बंटवारा विलेख निबंधित होना चाहिए अन्यथा यदि न्यायालय द्वारा किया गया बंटवारा निबंधित नहीं है तो सभी पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रश्नगत बंटवारा न्यायालय द्वारा निबंधित नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'ग' में वर्णित बिन्दु के आलोक में सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम की गई सारी

जमीन को श्री हीरा लाल साह को वापस कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिक शुल्क

*120 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **मंत्रिमंडल सचिवालय** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित बिहार निवास एवं बिहार भवन में माननीय सदस्यों के स्वयं के रहने एवं स्वयं के नाम पर आरक्षित कमरे में पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों से अलग-अलग राशि लेने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार माननीय सदस्यों के बच्चों एवं पत्नी से उनके अतिथि के रूप में उनसे अधिक शुल्क वसूलती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपयुक्त प्रावधान बदलने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

दखल-कब्जा कबतक

*121 **डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के बेगूसराय प्रखंड अंतर्गत सिंह सिंघौल पोखर अंतर्गत गोपाल मंदिर के बगल में सरकार द्वारा पर्चा का जमीन गरीब लोगों को दिया गया जिसका केस संख्या 5/92-93, थाना-373, खाता-154, खेसरा-1580, 1586, जमाबंदी संख्या-35, रकबा-15 धूर के हिसाब से एक बार रसीद काटा गया, कुछ लोगों का उस पर दखल-कब्जा भी है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेदखल लोगों को दखल-कब्जा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मुआवजा राशि का भुगतान

*122 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना के दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती योजना, 2014 के तहत आशियाना-दीघा रोड के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित भूखंड का मुआवजा देने का प्रावधान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि केवाला सं. – 5023 के अनुसार थाना सं. – 01, खाता सं. – 1640, खेसरा सं. – 2571, रकबा- 8 कट्ठे का डिमाण्ड श्रीमती प्रभा देवी के नाम अंकित है, जिसका वर्ष 1993 तक रसीद भी कटा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि श्रीमती प्रभा देवी उर्फ प्रभा सिन्हा, पति- स्व. शिवेश्वर प्रसाद सिन्हा, चितकोहरा, गर्दनीबाग, पटना विहित प्रपत्र में दिनांक- 17.05.2018 को भू-सम्पदा पदाधिकारी, आवास बोर्ड, पटना को सभी आवश्यक कागजातों के साथ मुआवजा भुगतान हेतु आवेदन पत्र समर्पित की हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपर्युक्त विवरण के आधार पर सरकार कबतक जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है?